न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2026

1. रविन्द्र पुत्र श्री बृजलाल, जाति मेघवाल, निवासी जोधा का बास, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2. महादेव पुत्र जोराराम, जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

1. नरेश सोनी उपखण्ड अधिकारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2. सुलोचना पत्नी बजरंगलाल, जाति नायक निवासी वार्ड न. 11 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3. बालचन्द पुत्र माडूराम, जाति नायक, निवासी वार्ड न. 11 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4. मोहरसिंह पुत्र मूलचन्द जाति नायक निवासी वार्ड न. 12 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5. डालचन्द पुत्र मन्दाराम, जाति नायक निवासी वार्ड न. 11 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7. उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9. अध्यक्ष नगरपालिका चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

———

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बाबत हस्तांतरित किये जाने दावा मुकदमा न. 161/2014 उनवानी सुलोचना बनाम मोहर सिंह आदि, दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा न. 176/2014

———

उपस्थितः–

1. श्री संजीव कुमार सिंघल – अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1, 6, 7, 8 व 9 की ओर से।
3. मोहम्मद खादिम – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 की ओर से।
4. श्री हवासिंह चौहान – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 4 की ओर से।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 27.04.2026

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 161/2014 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण/आवेदकगण ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां मुकदमा न. 161/2014 उनवानी सुलोचना आदि बनाम मोहर सिंह आदि बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का गत दिनांक 01.10.2014 को प्रस्तुत किया। उक्त दावा के साथ ही प्रार्थीगण/आवेदकगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी उपरोक्त उनवानी सुलोचना आदि बनाम मोहर सिंह मुकदमा न. 176/2014 उक्त रोज ही प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रकरण के वादीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि उनके सम्पर्क पीठासीन अधिकारी से हैं जिसके चलते वादीगण दावे को अपने पक्ष में डिक्री करवा लेंगें। जिसके चलते पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद प्रार्थीगण को नहीं है। इसलिए अब प्रार्थीगण/आवेदकगण को पीठासीन अधिकारी से पत्रावली में किसी प्रकार के न्याय की उम्ममीद नहीं रहने के चलते प्रार्थीगण अपनी उक्त पत्रावली सुलोचना आदि बनाम मोहर सिंह आदि को किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करवाना चाहते हैं जिससे पत्रावली में न्याय हो सके। उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन है जिसको अन्य किसी न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने के श्रीमान् को असीमित अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां विचाराधीन पत्रावली उनवानी दावा सुलोचना आदि बनाम मोहर सिंह आदि मुकदमा नम्बर 161/2014 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 27.01.2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुये प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरिक करने में अपनी कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित आयें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत के यहां विभाजन का दावा विचाराधीन है। अदालत मातहत ने दिनांक 06.10.2025 के बाद 2 – 2 दिवस की तारीख पेशी दे रहे है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। वर्ष 2014 में मुकदमा किया था। हमने अब स्थानान्तरण मुकदमा का प्रार्थना पत्र दिया है क्योकि अब नियमानुसार सुनवाई नहीं की जा रही है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावें। वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने भी वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि इनके प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा में अंकित बिन्दुओ से भिन्न बहस की है कही नहीं लिखा की डे बाय डे बहस हो रही है। छोटी तारीख इसलिए दी जा रही है क्योकि मुकदमा वर्ष 2014 से विचाराधीन चल रहा है। इनके द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज हो चुका है। केवल प्रकरण की सुनवाई में देरी के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में वकील अनावेदक के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां विचाराधीन वाद संख्या 161/2014 उनवानी सुलोचना बनाम मोहर सिंह दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा को अन्य स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण 12 वर्ष पुराना है। इसमें छोटी पेशी देना गलत नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि पत्रावली में कार्यवाही नियत प्रक्रिया अनुसार ही है। प्रार्थी अपने कथन की ताईद में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं